बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री राजेश कुमार भगत, (कोटि क्रमांक–406/2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–432 दिनांक–13.03.2026 द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या–023/2026 दिनांक–23.02.2026, धारा–7(a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किये जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के क्रम में प्रतिवेदित किया गया है कि निगरानी धावा–दल द्वारा दिनांक–24.02.2026 को श्री राजेश कुमार भगत को परिवादी श्री राम एकबाल सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से 10,000/– (दस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में भेजा गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त सूचना एवं श्री भगत के विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क)(ग) एवं 9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री भगत को कारा–निरोध की तिथि यथा–24.02.2026 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. कारागार से रिहा होने के पश्चात् निलंबन अवधि में श्री भगत का मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर रहेगा।

3. निलंबन अवधि में श्री भगत को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

25/3/2026

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–08/2026 1476 /खाद्य, पटना/दिनांक 25.03.2026

प्रतिलिपि–1. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–432 दिनांक–13.03.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. श्री राजेश कुमार भगत (कोटि क्रमांक–406/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित, मोबाईल संख्या–8678858251, E-mail : rajeshravibhagat@gmail.com (कारागार से रिहा होने के पश्चात् निलंबन अवधि में मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2025\Suspension Order\Rajesh Kumar Bhagt.doc